रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72
REGISTERED NO. D.(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 520] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 15, 1980/कार्तिक 24, 1902
No. 520] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 15, 1980/KARTIKA 24, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1980

का० आ० 892 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने, (उद्योग विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक के अधीन जारी भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 364(अ०), तारीख 29 मई, 1978 द्वारा, पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार के रुग्ण और लघु उद्योग विभाग, कलकत्ता को मैसर्स किन्नीसन जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का (जिसे इसमें आगे उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है), उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18-कड़ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में ऐसे अपवादों, निर्बन्धनों और सीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन रहते हुए, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रम को उसी प्रकार से लागू बना रहेगा जैसे वह धारा 18-कक के अधीन आदेश के जारी होने से पूर्व लागू था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 का उपबन्ध	ऐसे अपवाद, निर्बन्धन और सीमाएं जिनके अधीन स्तम्भ (1) में उल्लिखित उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू होंगे
(1)	(2)
धारा 166	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे। किन्तु वह कम्पनी रजिस्ट्रार के पास वार्षिक विवरणियां और तुलन-पत्र फाइल करेगा। इस छूट का प्रभाव कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159(1) के उपबन्धों पर नहीं होगा।
धारा 169	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।
धारा 210 (1)	इस उपधारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे किन्तु वह कम्पनी रजिस्ट्रार के

(1)	(2)
	पास कानूनी विवरणियां और तुलन-पत्र फाइल करेगा । इस छूट का प्रभाव कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159(1) के उपबन्धों पर नहीं होगा ।
धारा 217	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।
धारा 219	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।
धारा 224	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे कि संपरीक्षक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ।
धारा 225	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे कि संपरीक्षक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ।
धारा 293(1)(घ)	इस उपधारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।
धारा 294	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।

सभी मामलों में छूट की अवधि का, केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन कम्पनी का प्रबन्ध किया जाना समाप्त हो जाने पर, पर्यवसान हो जाएगा ।

[फा॰ सं॰ 3(4)/78 सी॰यू॰सी॰]
आर॰ एन॰ चोपड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 15th November, 1980

S.O. 892 (E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 364 (E), dated the 29th May, 1978 issued under section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government has authorised the State Government of West Bengal in the Department of Sick and Close Industries, Calcutta, to take over the management of the industrial undertaking known as Messrs The Kinnison Jute Mills Company Limited, Calcutta, (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E of the said Act, the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the said industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the Order under section 18AA.

SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the said industrial undertaking.
(1)	(2)
Section 166	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking. It shall, however, file its statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies. The exemption will not affect the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 1956.
Section 169	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 210(1)	Provision of this sub-section shall not apply to the said industrial undertaking. It shall, however, file its statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies. The exemption will not affect the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 1956.
Section 217	Provision of this section shall not apply to the said industerial under taking.
Section 219	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 224	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking subject to the condition that the auditor shall be appointed by the Central Government.
Section 225	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking subject to the condition that the auditor shall be appointed by the Central Government.
Section 293(1)(d)	Provision of this sub-section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 294	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking.

The period of exemption in all cases will terminate when the Company ceases to be managed by the Central Government under the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

[F. No. 3(4)/78-CUS]
R. N. CHOPRA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980